रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 300] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 1, 2010/अग्रहायण 10, 1932

No. 300] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2010/AGRAHAYANA 10, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2010

(निर्णायक समीक्षा)

विषय : चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सेलोफेन पारदर्शी फिल्म (सीटीएफ) के आयातों के संबंध में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा ।

फा. सं. 15/15/2010-डीजीएडी.—यत: समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे एतद्द्वारा अधिनियम कहा जाएगा) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और वसूली तथा क्षति-निर्धारण हेतु) नियम, 1995 (जिसे एतद्पश्चात् पाटनरोधी नियम कहा जाएगा) को ध्यान में रखते हुए, चीन जन. गण. (जिसे एतद्पश्चात् संबद्ध देश कहा जाएगा) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सेलोफोन पारदर्शी फिल्म (जिसे पारदर्शी पेपर भी कहा जाता है) (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु कहा जाएगा) के आयातों पर दिनांक 7 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. 94/2006 द्वारा सर्वप्रथम निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

2. विचाराधीन उत्पाद

मूल मामले में विचाराधीन उत्पाद चीन जन. गण. जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सेलोफेन पारदर्शी फिल्म" (जिसे पारदर्शी पेपर अथवा टीपी फिल्म भी कहा जाता है) थी। पारदर्शी फिल्म कांच की तरह पारदर्शिता एवं चमक वाली एक रिजेनेरेटेड सेल्यूलोस फिल्म है। इस समीक्षा के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद वही है जो मूल जाँच में था। यह लोचशील होते हुए भी मजबूत होती है और आटोमैटिक पैकेजिंग प्रचालनों के सभी आघातों को झेल लेती है तथा इसमें उत्कृष्ट मशीनी क्षमता तथा विमितीय स्थिरता होती है। इसका निर्माण काष्ठ की लुग्दी से किया जाता है अत: यह विष रहित और बायोडिग्रेडेबल होती है। टीपी फिल्में रंगीन अथवा सफेद होती हैं । पारदर्शी फिल्म शीट और रोल के रूप में उपलब्ध होती है। यह एक आदर्श पैकेजिंग सामग्री है। टीपी फिल्म के अनेक प्रकार होते हैं, जो अलग-अलग ग्रेड के होते हैं । सभी ग्रेडों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल किया गया है।

संबद्ध वस्तुओं को प्लास्टिक तथा उससे बनी वस्तुओं की श्रेणी में सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 39 के उपशीर्ष 392071 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है । तथापि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

3. जांच की शुरुआत

इंडियन मेटल एण्ड फेरो एलॉयज लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश 2006 की रिट याचिका (सिविल) सं. 16893 को देखते हुए तथा पाटनरोधी नियमों के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार प्राधिकारी संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने तथा इस बात की जांच करने के लिए कि क्या इस शुल्क को समाप्त करने से पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी, एतद्द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं।

4. शामिल देश/क्षेत्र

इस जांच में शामिल देश चीन जन. गण. है।

5. जांच की अवधि

वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अक्तूबर, 2009 से 30 सितम्बर, 2010 (12 महीने) की है। तथापि क्षति

विश्लेषण हेतु वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा जांच की अवधि शामिल होगी। पाटन एवं क्षति की संभावना का निर्धारण करने के लिए जांच अवधि से इतर अवधि के आंकड़ों की भी जांच की जा सकती है।

6. प्रक्रिया

दिनांक 28 जुलाई, 2006 की अधिसूचना संख्या 14/7/2005-डीजीएडी द्वारा जारी अंतिम जांच परिणाम तथा दिनांक 7 सितम्बर, 2006 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 94/2006 द्वारा लगाए गए अंतिम शुल्क की समीक्षा करने का निर्णय लेने के पश्चात प्राधिकारी यह जानने के लिए कि क्या लगाए गए शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता है तथा अधिनियम एवं पाटनरोधी नियमों के अनुसार संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने पर "पाटन" एवं "क्षति" के जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है अथवा नहीं, एतद्द्वारा समीक्षा जांच शुरू करते हैं। इस समीक्षा में दिनांक 28 जुलाई, 2006 की अधिसूचना सं. 14/7/2005-डीजीएडी (मूल जांच का अंतिम जांच परिणाम) के सभी पहलु शामिल होंगे।

7. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देश के निर्यातक, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार भारत में उत्पाद से संबद्ध समझे जाने वाले आयातक एवं प्रयोक्ता तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित पद्धति एवं ढंग से संगत सूचना उपलब्ध कराने और प्राधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :—

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

कमरा सं. 243, उद्योग भवन

नई दिल्ली-110107

कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित पद्धति एवं ढंग से जांच से संगत निवेदन कर सकता है।

8. समय-सीमा

वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना लिखित में भेजी जाए जो प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर पंहुच जानी चाहिए। यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को उचित सिफारिशें कर सकते हैं।

संबद्ध वस्तुओं के घरेलु उत्पादकों को पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की आवश्यकता को प्रमाणित करते हुए 40 दिनों के भीतर प्रतिक्रिया देने के लिए एक प्रश्नावली जारी की जा रही है।

सभी हितबद्ध पक्षकारों को इस जांच के प्रारंभ होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर अपने हित (हित की प्रवृत्ति सहित) के बारे में सूचित करने के लिए एतद्द्वारा सलाह दी जाती है । इस प्रकार सूचित करने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों को पाटनरोधी उपाय जारी रखने की आवश्यकता अथवा अन्यथा के संबंध में पत्र जारी करने की तारीख से 40 दिनों के भीतर, घरेलू उत्पादकों की प्रतिक्रिया (प्रतिक्रियाओं) पर अपनी टिप्पणियां देने का अनुरोध किया जाएगा।

9. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

सभी हितबद्ध पक्षकार उपर्युक्त नियम के नियम 7(1) के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली गोपनीय सूचना के लिए नियम 7(2) के संदर्भ में एक गोपनीय और एक अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराएंगे। गोपनीय सूचना का अगोपनीय रूपांतर अथवा अगोपनीय सारांश पर्याप्त रूप से विस्तृत हो जिससे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सूचना की एक अर्थपूर्ण समझ प्राप्त हो सके। यदि सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार के विचार से ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना संभव न हो तो उसका कारण बताते हुए एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

उपर्युक्त पैराग्राफ में किसी बात के होते हुए भी, यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा सूचना प्रस्तुत करने वाला सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है अथवा सामान्य या सारांश रूप में उसका प्रकटन करने के लिए प्राधिकृत नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना को नजरअंदाज कर सकते हैं।

10. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय सारांश वाली उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

11. असहयोग

यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अनयथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

पी. के. चौधरी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 2010

(Sunset Review)

Subject : Sunset Review of anti-dumping duty imposed concerning imports of Cellophane Transparent Film (CTF) originating in or exported from China PR.

F. No.15/15/2010-DGAD.—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to

time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules), the definitive anti-dumping duty was originally imposed *vide* notification No. 94/2006 dated 7th September, 2006 on import of Cellophane Transparent Film (also known as Transparent Paper) (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country).

2. Product under consideration

The product under consideration in the original case was 'Cellophane Transparent Film' (also known as Transparent Paper or TP film), originating in or exported from People's Republic of China. The product under consideration for the purposes of this review remains the same as was in the original investigation. Transparent Film is a re-generated cellulose film of glass clear transparency and sparkle. It is flexible, yet tough and withstands all the beatings in an automatic packaging operation and shows outstanding machine ability as well as dimensional stability. It is made of wood pulp; hence it is non-toxic and biodegradable. TP films can be coloured or white. Transparent Film is available in sheet and Roll forms. It is an ideal packaging material. There are various types of TP Films, having many Grades. All grades are within the scope of product under consideration.

The subject goods are classified under Chapter 39, sub-heading 392071 of the Customs Tariff Act in the category of Plastics and Articles thereof. However, Customs classifications are indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

3. Initiation

In view of the order of the Hon'ble Delhi High Court in the matter of Indian Metal and Ferro Alloys Ltd. V/s Designated Authority, Writ Petition (Civil) No. 16893 of 2006 and in accordance with Section 9A (5) of the Act, read with Rule 23 of the AD Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods and to examine whether the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

4. Countries/territory involved

The country involved in this investigation is China PR.

5. Period of Investigation

The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is 1st October, 2009 to 30th September, 2010 (12 months). However, injury analysis shall cover the years 2007-08, 2008-09, 2009-10 and POI. The data beyond POI may also be examined to determine likelihood of dumping and injury.

6. Procedure

Having decided to review the final findings issued *vide* Notification No. 14/7/2005-DGAD dated 28th July, 2006 and final duty imposed *vide* Customs Notification No. 94/2006, dated 7th September 2006, the Authority hereby initiates investigation to review the need for continued imposition of the duties in force and to examine whether cessation of the anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of 'Dumping' and 'injury' on imports of the subject goods originating in or exported from the subject country in accordance with the Act and the AD Rules. The review covers all aspects of Notification No. 14/7/2005-DGAD, dated 28th July, 2006 (final findings of the original investigation).

7. Submission of Information

The exporters in subject country, the government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product and the domestic industry, are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address :

Government of India
Ministry of Commerce and Industry
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Department of Commerce
Room No. 243, Udyog Bhawan,
New Delhi-110107.

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below :

8. Time Limit

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the 'facts available' on record in accordance with the AD Rules.

The domestic producers of the subject goods are being issued a questionnaire to respond within 40 days substantiating the need for continued imposition of the AD measures.

All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter within 40 days from the date of initiation of this investigation. All such interested parties, that intimate so, would be requested to offer their comments to the domestic producers' response(s) within 40 days from the date of issuance of the letter to them regarding the need to continue or otherwise the AD measures.

9. Submission of information on Non-confidential basis

All interested parties shall provide a confidential and non-confidential summary in terms of Rule 7(2), for the confidential information provided as per Rule 7(1) of the AD Rules. The non-confidential version or non-confidential summary of the confidential information should be in sufficient detail to provide a meaningful understanding of the information to the other interested parties. If in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summary; a statement of reasons thereof is required to be provided.

Notwithstanding anything contained in para above, if the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, it may disregard such information.

10. Inspection of public-file

In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

11. Non-co-operation

In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

P. K. CHAUDHERY, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.